न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरण सं. 16 प्रवेश दिनांक 25.06.2021 निर्णय दिनांक 05.08.2021

Gen/m's/10
2021
6

उनवान

1 राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर

बनाम

1 रामफूल पुत्र बृजा जाति मीना निवासी ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में वृतान्त निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का ढिगावडा द्वारा ग्राम ढिगावडा के आ0ख0नं0 59 रकबा 0.38 है0 में से किस्म माही प्रथम 0.27 है0, आब प्रथम 0.11 किस्म खातेदारी कृषि भूमि में गैरसायल रामफूल पुत्र बृजा जाति मीना निवासी ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा रकबा 0.0350 हैक्ट0 भूमि में दुकान निर्माण कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बिना रूपान्तरण करवाये उपयोग करने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया । गैर सायल बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। गैरसायल अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया। गैरसायल द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तन कर राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए का उल्लंघन किया है। गैर सायल बावजूद सूचना के अपने बचाव में सुनवाई तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने व कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही करने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया गया।

अतः रामफूल पुत्र बृजा जाति मीना निवासी ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर द्वारा आ0ख0नं0 59 रकबा 0.38 है0 में से रकबा 0.0350 हैक्ट0 पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुकान निर्माण कर उपयोग करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए सपठित धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर लगान 0.1.225 रूपये का पचास गुणा राशि 62.00/- रूपया शास्ति आरोपित की जाती है। वसूली एवं कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। चूंकि गैरसायल का यह कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकृती उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तो के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कृषि भूमि शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर किये गए। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार राजगढ

तहसीलदार
राजगढ (अलवर)

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ जिला अलवर

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढतहसील राजगढ जिला अलवर

बनाम

1 रामफूल पुत्र बृजा जाति मीना निवासी ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

महोदय,

गैरसायल के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार है कि:-

1. यह है कि आ0ख0 नं0 59 रकबा 0.38 हे0 किस्म चाही प्रथम 0.27 हे0, जाव प्रथम 0.11 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है।
2. यह है आ0ख0 नं0 59 रकबा 0.38 हे0 किस्म चाही प्रथम 0.27 हे0, जाव प्रथम 0.11 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में कृषि प्रयोजनार्थ स्थित है।
3. यह है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 में आ0ख0नं0 59 रकबा 0.38 हे0 किस्म चाही प्रथम 0.27 हे0, जाव प्रथम 0.11 हे0 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जिसकी हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
4. पटवारी हल्का ढिगावडा से 25.05.2021 द्वारा इस आश्य की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि बिना सक्षम स्वीकृति के ग्राम बाढ ढिगावडा के आ0ख0नं0 59 रकबा 0.38 हे0 में से 0.0350 हे0 भूमि पर अप्रार्थी द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुकानों का निर्माण कर अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है। अप्रार्थी के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति कृषिभूमि को अकृषि रूपान्तरण कर लिया है। जिसकी कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई है तथा मौके पर अब यह भूमि पुनः कृषि करने योग्य नही रही है। रिपोर्ट पटवारी हल्का संलग्न है।
5. यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा काश्तकारी अधिनियम 1955 क प्रावधानों तहत खातेदार को अपनी कृषिभूमि में कृषि करने का अधिकार प्रदत्त किये गये है।

P1O

6 यह है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि को बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुज्ञा भूमि का स्वरूप परिवर्तन कर अकृषि में उपयोग लिया जा रहा है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है।

7 यह है कि राज्य सरकार द्वारा खातेदार को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में कृषि करने के अधिकार दिये गये जबकि अप्रार्थी द्वारा अपनी भूमि में दुकानों का निर्माण कर भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर लिया गया है। जिसकी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। जिससे यह भूमि कृषि करने योग्य नहीं रही है।

8 यह है कि अप्रार्थी की देखा–देखी के अन्य खातेदारो द्वारा भी अपनी कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तित कर लिया जायेगा। जिससे भविष्य में कृषि संबधी उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगे। जो भविष्य में क्षेत्र के विकास में बाधक सिद्ध होगी।

9 यह है कि प्रार्थना पत्र में सुनवाई का अधिकार श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।

10 यह है कि प्रार्थना–पत्र राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होने से सभी प्रकार के शुल्क आदि से मुक्त है।

अतः प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर दुकानों का निर्माण कर अकृषि भूमि को व्यवसायिक रूपान्तरण कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित फरमावे। सादर।

प्रार्थी

दिनांक :–10.08.2021

तहसीलदार(लैण्ड होल्डर)
राजगढ़ जिला अलवर

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. रा. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 20 पद 904 . 62/–
राशि कायम [illegible] गया।

त. रा. लेखाकार